

झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची।

“प्रेस विज्ञप्ति”

झारखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में आमंत्रित विशेषज्ञों एवं अतिथियों के भोजनादि की व्यवस्था के संबंध में।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में आमंत्रित विशेषज्ञों, अतिथियों एवं विशेष परिस्थितियों में आयोग के कर्मियों आदि के भोजनादि की व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रण सूचना में अंकित मेन्यू के अनुसार प्रति अतिथि/व्यक्ति प्रतिदिन प्रति पैकेट/प्रति सामग्री (खाद्य पदार्थ) की दर प्राप्ति हेतु इच्छुक कैंटरर/फर्म/प्रतिष्ठानों से मुहरबंद निविदा दिनांक-26.04.2023 के अपराहन 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

2. उक्त से संबंधित विस्तृत निविदा विवरणी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर जारी कर दिया गया है।

ह0/-

संयुक्त सचिव (सामान्य),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची

झारखंड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची।

निविदा आमंत्रण सूचना

दिनांक

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में आमंत्रित विशेषज्ञों, अतिथियों एवं विशेष परिस्थितियों में आयोग के कर्मियों आदि के भोजनादि की व्यवस्था के निमित्त कैंटर/फर्म/प्रतिष्ठान को सूचीबद्ध करने हेतु निम्नवत् मेन्यू Table के अनुसार प्रति अतिथि/व्यक्ति प्रति पैकेट/प्रति सामग्री (खाद्य पदार्थ) की दर प्राप्ति हेतु इच्छुक कैंटर/फर्म/प्रतिष्ठानों से मुहरबंद निविदा दिनांक-**26.04.2023** के अपराह्न **03:00** बजे तक संयुक्त सचिव (सामान्य), झारखण्ड लोक सेवा आयोग के नाम से आमंत्रित की जाती है :-

Table-1

Sl.	VEG THALI	SNACKS
1.	स्टीम्ड राईस/जीरा राईस (अच्छे से पका हुआ) तवा रोटी दो रसदार सब्जी (अलग-अलग दिन बदल-बदलकर वेज) भुजिया काली अथवा पीली दाल प्लेन दही मिठाई (छेना का अच्छी क्वालिटी) सलाद / अचार / चटनी / पापड	ताजा फल/ड्राई फ्रूट (सुबह के लिए) सैंडविच/वेज चॉप/ढोकला/इडली-कोई एक एवं मिठाई (शाम के लिए)
TOTAL RATE		

Table-2

Sl.	VEG LUNCH /Non-VEG LUNCH (BUFFET)	VEG LUNCH (SPL) /Non- VEG LUNCH (SPL) (BUFFET)	VEG LUNCH/ Non-VEG LUNCH (PACKET)	VEG LUNCH/ Non- VEG LUNCH (PACKET)
1.	RICE	JEERA RICE	JEERA RICE	JEERA RICE
2.	DAAL	DAAL TADKA	DAL FRY	DAL TADKA
3.	TAWAROTI	STUFF KACHOURI	KULCHA	MASALA KULCHA
4.	SEASONAL VEGETABLE	TAWA ROTI	MIX VEGETABLE	MIX VEGETABLE
5.	BHUJIA/SAAG	VEG KADDAHI	PANNER VEGETABLE	PANNER BUTTER MASALA
6.	RASGULLA /GULAB JAMUN/GAJAR HALWA/MUNG	PANEER VEGETABLE	SWEET	SWEET
7.	PAPAD	BHUJIYA	SALAD	RAITA
8.	SALAD	HALWA	ACHAR	SALAD
9.	ACHAR/CHATNI	RASGULLA	WATER BOTTLE	ACHAR
10.	CURD	PAPAD	-----	WATER BOTTLE
11.	WATER BOTTLE	SALAD	-----	-----
12.		ACHAR	-----	-----
13.	-----	DAHI BADA	-----	-----
14.	-----	WATER BOTTLE	-----	-----
TOTAL RATE				

Table-3

SI.	SNACKS (SPL)	RATE	HIGH TEA	RATE	SNACKS (PLATE)	RATE	BEVERAGES	RATE
1.	NAMKEEN		VEG HARA BHARA		DHOKLA/KACHORI/SAM OSA/ ALOOCHOP		TEA	
2.	MALAI SWEET		PANEER PAKORA		VEG PAKODA/CUTLET/ CHEESE SANDWICH/SANDWITC		COFFEE	
3.	KAJU SWEET		KAJU FRY		TWO SWEETS (CHENA/GULAB JAMUN/KALA JAMUN)		JUICE (Orange, Pinapple, Dav, मौसमी)	
4.	KAJU FRY 20GM		MILK CAKE		WATER BOTTLE (MINI)		BUTTERMILK	
5.	WATER BOTTLE (MINI)		JUICE		-----		LASSI	
6.	-----		TEA		-----		MILK SHAKE	
7.	-----		MINERAL WATER		-----			
8.	-----		VEG CORN CUTLET		-----			
TOTAL RATE								

Table-4

SI.	Dishes/Plate/Pc.	RATE	Special Dishes /Plate	RATE
1	Khichdi		Fish Curry	
2	Dosa Masala/Soda Plain		Chiken Curry	
3	Idly		Mutton Curry	
4	Samber Bada		Egg Curry	
5	Sandwitch (Plane)			
6	Sandwitch (Grilled)			
7	Pakora			
8	Aluchop			
9	Dhokla/Plate			
10	Rasogulla/Pc.		-----	
11	Kancha Gola/Pc.			
12	Gulabzamun/Pc.		-----	
13	Rasmalai/Kg & Pc.		-----	
14	Chhena Pice/Pc.		-----	
15	Kalakand/Kg.		-----	
16	Kazu Barfi/Kg.		-----	
17	Zalebi		-----	
18	Peda/Kg.		-----	
19	Kachauri/Pc.		-----	

Table-5

Sl.	आमंत्रित विशेषज्ञों हेतु नमक रहित फलाहारी भोजन	RATE
1.	पपीता/सेब/केला/खजूर/अंगूर/खरबूजा/नारीयल पानी/आम/खीरा/ककड़ी/अमरुद/ अन्य मौसमी फल एवं मिठाई (प्रति प्लेट/प्रति व्यक्ति)	

अतिथियों को बुफे मेनू के अनुरूप शुद्ध, स्वच्छ एवं ताजा भोजनादि खिलाने का पूर्ण दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान/कैटरर का ही होगा। भोजन में किसी भी तरह की त्रुटि या मेन्यू का अनुपालन नहीं होने तथा ससमय आपूर्ति नहीं किए जाने आदि की जिम्मेवारी प्रतिष्ठान/कैटरर की होगी। तत्संबंधी शिकायत मिलने पर प्रतिष्ठान/कैटरर के विपत्र में कटौती सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोजन सम्बन्धी किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आयोग द्वारा उनका एकरारनामा रद्द की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा फर्म/एजेंसी को काली सूची में चिन्हित किया जा सकता है।

“निविदा” तीन लिफाफा पद्धति से जमा करना होगा।

नोट :- निविदादाता Table-1, Table-2, Table-3, Table-4 एवं Table-5 में अंकित सामग्रियों में से किन्हीं एक अथवा किन्हीं दो अथवा किन्हीं तीन अथवा किन्हीं चार अथवा पाँचों Table हेतु निविदा समर्पित कर सकते हैं।

1. पहला लिफाफा- तकनीकी प्रस्ताव का होगा जिसमें निविदादाता अपने फर्म का

- (i) नाम एवं पूरा पता,
- (ii) राँची नगर निगम का वैध ट्रेड अनुज्ञप्ति, वैध FSSAI लाईसेंस,
- (iii) पैन नम्बर (PAN No.),
- (iv) GST Registration No.,
- (v) Labour License,
- (vi) निविदादाता (Owner of Firm) का Character Certificate,
- (vii) विगत लगातार तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एवं GST रिटर्न,
- (viii) फर्म का बैंक खाता संख्या, बैंक/शाखा का नाम, IFSC कोड,
- (ix) काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र,
- (x) विगत 03 (तीन) वर्षों में आवेदक का औसतन वार्षिक Turn Over 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) से अन्यून होना आवश्यक है।

प्रतिष्ठान/कैटरर 05 (पाँच) वर्षों के पूर्व से राँची में निबंधित हो तथा इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक नियमित रूप से कार्य कर रहे हो। सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव वाले फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी। “निविदा” में राँची में आवेदक की इकाई का विवरण एवं राँची स्थित किचेन आदि को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. दूसरा लिफाफा (निविदा शुल्क एवं अग्रधन राशि)

(a) प्रत्येक निविदादाता को निविदा शुल्क के रूप में ₹0 1,000/- (₹0 एक हजार) मात्र का Demand Draft In favour of Jharkhand Public Service Commission Payble at Ranchi के नाम से जमा करना होगा। (Non-refundable)

(b) प्रत्येक निविदादाता को ₹0 10,000/- (₹0 दस हजार रुपये) मात्र सुरक्षित जमा/अग्रिम धन के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के नाम से जमा करना होगा जिसे असफल निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा।

3. तीसरा लिफाफा- वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित होगा, जिसमें निविदादाता आपूर्ति की जाने वाली भोजन संबंधी सभी मेन्यू सहित दर का उल्लेख करेंगे। इस प्रस्ताव में केवल सभी मेन्यू की प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन का दर ही उल्लेख होगा। प्रभावी जी०एस०टी० या अन्य टैक्सेज 'दर' अलग से अंकित करेंगे।

तकनीकी प्रस्ताव में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जाएगा और इसमें न्यूनतम दर उद्धृत कैटरर/फर्म/प्रतिष्ठानों के साथ वार्ता कर अंतिम रूप से टेबल में अंकित खाद्य सामग्रियों का दर निर्धारित किया जाएगा। उक्त निर्धारित दर पर आवश्यकतानुसार सूचीबद्ध की कार्रवाई की जा सकती है।

तीनों लिफाफों के ऊपर स्पष्ट रूप से 'तकनीकी प्रस्ताव', 'निविदा शुल्क एवं अग्रधन राशि' एवं 'वित्तीय प्रस्ताव' साफ अक्षरों में अंकित किया जायेगा।

निविदा खोलने समय निविदादाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

भुगतान :-

आपूर्ति भोजनादि की गुणवत्ता की जाँच आयोग के द्वारा अधिकृत प्राधिकार द्वारा की जायेगी एवं प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राशि के भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा। इस कार्य के लिए कोई अग्रिम राशि भुगतेय नहीं होगी।

सामग्री :-

भोजनादि में उपयोग होनेवाले सभी सामग्रियों ताजी, शुद्ध एवं उच्चगुणवत्ता की होगी। स्वच्छ तथा साफ उपस्करों की व्यवस्था निविदादाताओं को स्वयं करनी होगी, तथा विभाग द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का अलग से कोई भुगतान अथवा अग्रिम नहीं दिया जायेगा। आवश्यकतानुसार संबंधित फर्म खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच हेतु सैंपल उपलब्ध करायेंगे।

सुरक्षा :-

आपूर्ति किये जाने वाले भोजन हेतु शुद्ध एवं साफ सामग्रियों, उपस्करों का प्रयोग, स्वास्थ्यकर रसोई, बरतन एवं उनकी सुरक्षा का दायित्व निविदादाता का ही होगा। पैकेजिंग Hygeinic होना चाहिए। बासी भोजन पर भुगतान देय नहीं होगा।

कार्यक्रम :-

"निविदा" समर्पित करने की अंतिम तिथि 26.04.2023 को अप० 03:00 बजे तक है।

"तकनीकी बीड" खोलने की तिथि 28.04.2023 को अप० 02:00 बजे है।

"वित्तीय बीड" खोलने की तिथि 03.05.2023 को अप० 02:00 बजे है।

"निविदा" समर्पित करने का स्थान झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची का कार्यालय में कार्य दिवस के अप० 05.00 बजे तक है।

अंतिम तिथि के बाद समर्पित "निविदा" पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को "निविदा" को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार के वाद होने पर क्षेत्राधिकार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची होगा।

ह०/-

संयुक्त सचिव (सामान्य),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।